

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janiatikalyan@Gmail.com

पत्रांक-1422/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री इनाम अली, प्रधानाचार्य/प्रभारी उपनिदेशक निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ०मा० विद्यालय बिड़ौरा ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस०एस०टोलिया)
निदेशक

पुंष्ठाकन संख्या-1422/ज०जा०क०/व्य.पत्रा./2023-24 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला देहरादून।
3. उप कोषाधिकारी, सितारगंज ऊधमसिंह नगर।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
01/

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janiatikalyan@Gmail.com

पत्रांक सी-1423/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री जमुना प्रसाद, प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी पिथौरागढ़ को स्वयं के अनुरोध पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उमा0 बालक विद्यालय खटीमा ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

पुंठाकन संख्या सी-1423/ज0जा0क0/ व्य.पत्रा. /2023-24 तददिनांक 05/06/23
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित प्रधानाचार्य ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला देहरादून।
3. उप कोषाधिकारी, खटीमा ऊधमसिंह नगर/मुनस्यारी पिथौरागढ़।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
01/06/23

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janikatikalyan@Gmail.com

पत्रांक ~~1424~~ - 1424 ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री धर्मेन्द्रपाल सिंह राठौर अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लालढांग हरिद्वार (सम्बद्ध-निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून) को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय बलुवाकोट पिथौरागढ़ में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

पृष्ठांक संख्या ~~1424~~ - 1424 / ज0जा0क0 / व्य.पत्रा. / 2023-24 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अधीक्षक
2. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, धारचूला पिथौरागढ़ / मुख्य कोषाधिकारी हरिद्वार।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
o/c

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janiatikalyan@Gmail.com

पत्रांक-1425/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 08/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री प्रदीप कुमार, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विषय-अंग्रेजी, राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय लालढाग हरिद्वार को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय बलुवाकोट पिथौरागढ़ में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)

निदेशक

पृष्ठांक संख्या-1425/ज0जा0क0/व्य.पत्रा./2023-24 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/अधीक्षक/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, धारचूला पिथौरागढ़/मुख्य कोषाधिकारी हरिद्वार।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

o/c



निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janiatikalyan@Gmail.com

पत्रांक 1426/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती सीमा रानी, सहायक अध्यापिका (एल0टी0) विषय-सामाजिक विज्ञान, राजकीय आश्रम पद्धति बालक विद्यालय लालढाग हरिद्वार को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय बलुवाकोट पिथौरागढ़ में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)

निदेशक

पुंष्ठाकन संख्या 1426/ज0जा0क0/ व्य.पत्रा. /2023-24 तदुदिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/अधीक्षक/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, धारचूला पिथौरागढ़/मुख्य कोषाधिकारी हरिद्वार।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janjatikalvan@gmail.com

पत्रांक 1427/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती सुमन कुटार सहायक अध्यापिका (एल0टी0) विषय-सामाजिक विज्ञान, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय लांगापोखरी देहरादून को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय हरिपुर कालसी देहरादून में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से, एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टी0लिया)

निदेशक

पंष्ठाकन संख्या 1427/ज0जा0क0/ व्य.पत्रा. /2023-24 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, विकासनगर/चकराता देहरादून।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

0/L



निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianiatikalvan@Gmail.com

पत्रांक-1428/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती ममता चौहान, सहायक अध्यापिका (एल0टी0) विषय-सामाजिक विज्ञान, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय हरिपुर कालसी देहरादून को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय लांगापोखरी देहरादून में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)

निदेशक

पृष्ठांक संख्या-1428/ज0जा0क0/व्य.पत्रा./2023-24 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, विकासनगर/चकराता देहरादून।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
9/6

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janikatikalyan@Gmail.com

पत्रांक- 129/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री हरवेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विषय-गणित, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय लाखामण्डल देहरादून को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय गदरपुर ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टी0बिया)

निदेशक

पृष्ठांक संख्या 129/ज0जा0क0/ व्य.पत्रा. /2023-24 तददिनांकित
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप. कोषाधिकारी, गदरपुर ऊधमसिंह नगर/उपकोषाधिकारी चकराता देहरादून।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक



निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianiatikalyan@Gmail.com

पत्रांक - 1430/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री रवेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विषय-गणित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गूलरभोज ऊधमसिंह नगर को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय लाखामण्डल देहरादून में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0सेलिया)

निदेशक

पृष्ठांक संख्या 1430/ज0जा0क0/व्य.पत्रा./2023-24 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, गदरपुर ऊधमसिंह नगर/उप कोषाधिकारी चकराता देहरादून।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

01/06



निदेशालय · जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janiatikalyan@Gmail.com

पत्रांक 1431/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री विनोद चन्द महतोलिया, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विषय-विज्ञान, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय त्यूणी, देहरादून को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय गूलरभोज ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)

निदेशक

पुंष्ठाकन संख्या 1431/ज0जा0क0/ व्य.पत्रा. /2023-24 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, गदरपुर ऊधमसिंह नगर/उप कोषाधिकारी त्यूणी देहरादून।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक



निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianiatikalvan@Gmail.com

पत्रांक/1432/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती कुमुद अधिकारी, सहायक अध्यापिका (एल0टी0) विषय गणित, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गदरपुर ऊधमसिंह नगर को स्वयं के अनुरोध पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गूलरभोज ऊधमसिंह नगर में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)

निदेशक

पृष्ठांक संख्या 1432/ज0जा0क0/व्य.पत्रा./2023-24 दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी गदरपुर ऊधमसिंह नगर।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianiatikalvan@Gmail.com

पत्रांक संख्या 1433/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती अनीता अरोड़ा, सहायक अध्यापिका (एल0टी0) विषय-विज्ञान, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गूलरभोज ऊधमसिंह नगर को स्वयं के अनुरोध पर समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गदरपुर ऊधमसिंह नगर में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टी0लिया)
निदेशक

पुंष्ठाकन संख्या 1433/ज0जा0क0/ व्य.पत्रा. /2023-24 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, गदरपुर ऊधमसिंह नगर।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
0/C

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianjatikalvan@Gmail.com

पत्रांक ~~सी-1434~~ ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती शिल्पा सक्सेना सहायक अध्यापिका (एल0टी0) विषय-संगीत, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हरिपुर कालसी देहरादून को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय लांगापोखरी, देहरादून में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)
निदेशक

पुंष्ठाकन संख्या ~~सी-1434~~ / ज0जा0क0 / व्य.पत्रा. / 2023-24 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, धारचूला पिथौरागढ़/उप कोषाधिकारी विकासनगर देहरादून
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
o/c

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianiatikalyan@Gmail.com

पत्रांक 1435/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीमती मंजू रावल, सहायक अध्यापिका (एल0टी0) विषय-संगीत, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय गोठी पिथौरागढ़ को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय हरिपुर कालसी देहरादून में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)

निदेशक

पृष्ठांक संख्या 1435/ज0जा0क0/व्य.पत्रा./2023-24 दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, धारचूला पिथौरागढ़/विकासनगर देहरादून।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

01/06



निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)

(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janiatikalyan@Gmail.com

पत्रांक 1437/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री रामदत्त जोशी, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विषय-अंग्रेजी राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 बालक विद्यालय खटीमा ऊधमसिंह नगर को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुनस्यारी पिथौरागढ़ में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टी0लिया)

निदेशक

पृष्ठांक संख्या 1437/ज0जा0क0/व्य.पत्रा./2023-24 दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, मुनस्यारी पिथौरागढ़/उप कोषाधिकारी खटीमा ऊधमसिंह नगर।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
01/06/2023



निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-ianjatikalyan@Gmail.com

पत्रांक-1438/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर कुमारी गरिमा मिश्रा, सहायक अध्यापिका (एल0टी0) विषय-सामाजिक विज्ञान, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय लांगापोखरी देहरादून को जनहित में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालक लालढाग हरिद्वार में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)

निदेशक

पृष्ठांक संख्या-1438/ज0जा0क0/व्य.पत्रा./2023-24 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/अधीक्षक/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, चकराता देहरादून/मुख्य कोषाधिकारी हरिद्वार।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक
01/06

निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
(शहीद भगत सिंह कालोनी, पो. डालनवाला जनपद देहरादून)
(दूरभाष 0135-2975304)

Email-janatikalyan@gmail.com

पत्रांक- 1436/ज.जा.क./स्था0-3/2023-24

दिनांक 05/06/2023

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री विपिन बहुगुणा, कनिष्ठ सहायक, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय बलुवाकोट पिथौरागढ़ को स्वयं के अनुरोध में समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय लाखामण्डल देहरादून में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एस0टोलिया)

निदेशक

पृष्ठांक संख्या- 1436 / ज0जा0क0 / व्य.पत्रा. / 2023-24 तददिनांकित-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अध्यापक।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/आहरण वितरण अधिकारी।
3. उप कोषाधिकारी, धारचूला पिथौरागढ़/चकराता देहरादून।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।

निदेशक

01C